



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Tel: 0755-2466970, 2466859

Fax : 0755-2462136

No: 2282 / SEIAA/2021

Date: 14/10/2021

कार्यालयीन ज्ञापन

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (सिया) समिति द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 1216/SEIAA/2019 दिनांक 20.06.2019 में लिये गये निर्णय के परिपालन में समस्त परियोजना प्रस्तावक/आर.क्यू.पी/सलाहकार हेतु निर्देशित महत्वपूर्ण कार्यवाही बिंदु निम्नानुसार है :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज़ जैसे वनमंडलाधिकारी, तहसीलदार व खनिज अधिकारी (500मी. में अन्य खदान से संबंधित) की जानकारी जिला कलेक्टर द्वारा अभिप्रमाणित एकल-प्रमाण पत्र में संलग्न करें (परिशिष्ट-1)।
- रेत उत्खनन के प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित खनन योजना में Replenishment Study/Plan को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा।
- पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में SEIAA द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्र. 1216 दिनांक 20.06.2019 के परिशिष्ट-5 में आंशिक संशोधन किया जाता है, जो कि परिशिष्ट-2 पर दर्शित हैं एवं परिशिष्ट-6 को मान्य करते हुये यथावत रखा है, जो कि परिशिष्ट-3 पर दर्शित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2283 /SEIAA/2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक - 14/10/2021

- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- अध्यक्ष/सदस्य SEIAA एवं SEAC भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- सर्व संबंधित।
- गार्ड फाईल।
- DEO, की ओर website पर अपलोड करने हेतु।

14/10/21
सदस्य सचिव

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला (म.प्र.)

क्रमांक

दिनांक

एकल प्रमाण-पत्र

प्रति,

सदस्य सचिव,
SEIAA, पर्यावरण परिसर
ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

विषय: खनिज उत्खनन की पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये बिंदु क्रमांक 1 से 6 के सत्यापन बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्री / मेसर्स द्वारा खनिज.....
... क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) में माईनिंग के लिये लीज अवधि
खसरा क्रमांक ग्राम..... तहसील..... जिला.....
..... हेतु पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये बिंदु क्रमांक 1 से 6 तक की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वांछित जानकारी	जानकारी विवरण (यदि हों है तो संपूर्ण विवरण दें)
1	यदि उत्खनि पट्टा/खनि पट्टे से 10 कि.मी. की दूरी में टाईगर रिजर्व/घोषित जैव विवधता क्षेत्र/नेशनल पार्क/अभ्यारण/भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन स्थित है तो उक्त अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन से प्रस्तावित परियोजना स्थल की दूरी स्पष्ट करेंगे और नहीं होने की स्थिति में यह भी स्पष्ट करेंगे कि ऐसा कोई क्षेत्र 10 कि.मी की दूरी में नहीं है। (संबंधित क्षेत्र संचालक द्वारा अभिप्राणित)	
2	उत्खनि पट्टा/खनि पट्टे में यह भी स्पष्ट करेंगे कि उस खनि पट्टे से वन क्षेत्र कितनी दूर है और यदि वह 250 मीटर के अंदर है तो संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति प्राप्त करेंगे ?	
3	10 कि.मी. की परिधि में कोई अंतर्राज्यीय सीमा स्थित है ?	
4	उत्खनि पट्टा/खनि पट्टे से 500 मीटर की दूरी पर यदि कोई मानव बसाहट/शैक्षणिक संस्था/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि ?	
5	500 मीटर के अंदर कोई जलीय निकाय/नदी/तालाब/नहर/बांध/स्टॉप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला स्थित हो तो उसकी दूरी ?	
6	स्वीकृत उत्खनि पट्टा/खनि पट्टे के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत उत्खनि पट्टा/खनि पट्टा की जानकारी एवं उसका क्षेत्रफल ?	
7	रेत उत्खनन के प्रकरण में नदी का नाम	

जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित।

पृ. क्रमांक /खनिज/
प्रतिलिपि :-

परियोजना प्रस्तावक की ओर पालनार्थ।

वास्ते कलेक्टर
जिला

दिनांक / /

वास्ते कलेक्टर
जिला

शपथ पत्र
(नवीन पट्टाधारक द्वारा)

मैं उम्र पता

..... सत्यनिष्ठा पूर्वक निम्नलिखित वचन देता हूँ कि :-

1. खनिज साधन विभाग/माननीय जिला कलेक्टर द्वारा खनिज हेक्टेयर
..... खसरा नम्बर ग्राम तहसील जिला
..... का स्वीकृत खनिजपट्टा आवेदक के
पक्ष में पत्र क्र. दिनांक के द्वारा हस्तांतरित की गई है।
2. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (MP-SEIAA)/जिला स्तरीय पर्यावरण
समाघात निर्धारण प्राधिकरण (DEIAA) द्वारा प्रकरण क्र. में पत्र क्र.
दिनांक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. मेरे द्वारा SEIAA/DEIAA से जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. दिनांक
..... में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यह कि इस प्रकरण में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का न्यायालयीन वाद विवाद
प्रचलन में नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा बिन्दु क्र. 1 से 4 में दी गई जानकारी पूर्णतः
सत्य एवं सही है।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ पत्र
(पूर्व पट्टाधारक द्वारा)

मैं परियोजना प्रस्तावकआत्मज श्री
 उम्र पता
 द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मुझेखदान रकबा हेक्टेयर,
 खसरा नम्बरग्रामतहसीलजिला
 उत्पादन क्षमता घनमीटर प्रतिवर्ष आदेश क्र.दिनांक से
 अवधि दिनांकसेतक के लिये स्वीकृत की गई, जिसकी पूर्व
 पर्यावरणीय स्वीकृति SEIAA/DEIAA द्वारा प्रकरण क्र. में पत्र क्र.
 दिनांकके माध्यम से प्रदान की गई थी। उक्तखदान को म.प्र. शासन
 खनिज साधन विभाग/माननीय जिला कलेक्टर के आदेश क्र.दिनांक
 के परिपालन में(नवीन पट्टाधारक) को हस्तांतरित किये जाने पर
 अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई भी वैधानिक आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्तखदान की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति
 में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है एवं मेरे द्वारा किसी भी शर्त का
 उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उक्तखदान से संबंधित कोई भी वाद/विवाद
 एवं प्रकरण न्यायालय/अधिकरण में प्रचलन में नहीं है।

हस्ताक्षर

परियोजना प्रस्तावक का नाम

पता

मोबाईल नं.